By Speed Post

सत्यमेव जयते

No. Tour Report/03/HKD/Rajasthan/2018/RU-II
Government of India
National Commission for Scheduled Tribes
****

6th floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Date:- 4th.12.2019

To

The Principal Secretary,
Tribal Area Development Department,
Government of Rajasthan,
Rajasthan Secretariat,
Jaipur, Rajasthan -302005.

Sub:-Tour Report and recommendation of Shri Hari Krishna Damor, Member, NCST, New Delhi from 17.09.2019 to 23.09.2019 visited to District- Udaipur, Rajasthan regarding focused on subjects of land and forest rights in scheduled tribal areas in District-Udaipur, Rajasthan.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of Tour Report and recommendation from 17.09.2019 to 23.09.2019 of Shri Hari Krishna Damor, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes, New Delhi on the above mentioned subject.

2. It is requested to furnish the information along with Action Taken Report to this Commission on the recommendations made in the Report and recommendations within 30 days positively.

Yours faithfully,

Encl:- As above

(S.P. Meena)
Assistant Director

Copy to:-

1. The District-Collector, District Udaipur, Rajasthan.
2. SAS, NIC, for uploading on the website of NCST.

कार्यालय (सदस्य श्री एच.के. डामोर)
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
****

श्री हरि कृष्ण डामोर, सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा दिनांक 18.09.2019 से 20.09.2019 तक राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में किये गये राजकीय प्रवास की रिपोर्ट निम्नावत है।

राजकीय प्रवास रिपोर्ट:

1.	**प्रवास करने वाले अधिकारी का नाम एवं पदनाम**	**श्री एच.के. डामोर, सदस्य** राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
2.	**दौरे की तिथि (दिन/माह/वर्ष)**	18.09.2019 से 20.09.2019
3.	**दौरा किये गये स्थानों का विवरण**	जिला उदयपुर
4.	**मुलाकात/बैठक, मुख्य व्यक्ति/अधिकारी गण/संगठन जिनसे चर्चा/विचार विमर्श किया गया।**	श्रीमती अंजली राजोरिया अतिरिक्त आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर सहायक वन संरक्षक, श्रीमती अरूणा रॉय एवं श्री निखिल डे मजदूर किसान शक्ति संगठन, श्री प्रदीप प्रभु कष्टकारी संगठन, श्री बजरंग लाल शर्मा, सेवानिवृत सदस्य राजस्व मंडल अजमेर, कार्यशाला के समन्वयक, आस्था संस्थान से श्रीमती जिन्नी श्रीवास्तव एवं अन्य प्रतिभागीगण
5.	**प्रवास के मुख्य बिन्दुः (भ्रमण के दौरान चर्चा किए गए प्रमुख मुद्दे)**	राजकीय प्रवास का विवरण तिथिवार निम्नानुसार है।

दिनांक 17.09.2019 शाम 19:00 बजे हजरत निजामुद्धीन रेलवे स्टेशन से मेवाड एक्सप्रेस द्वारा प्रस्थान कर दिनांक 18.09.2019 को प्रातः 07:20 बजे उदयपुर रेलवे स्टेशन पर आगमन।

दिनांक 18.09.2019

माननीय सदस्य ने Foundation for Ecological Security के सहयोग से भूमि संसाधन ईकाई (People's Land Resource Unit) द्वारा आस्था प्रशिक्षण केन्द्र बेद्ला उदयपुर में आयोजित कार्यशाला में भाग लिया। माननीय सदस्य के साथ राज्य सरकार के अधिकारियों श्रीमती अंजली राजोरिया अतिरिक्त आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर सहायक वन संरक्षक एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के श्रीमती अरूणा रॉय एवं श्री निखिल डे मजदूर किसान शक्ति संगठन, श्री प्रदीप प्रभु कष्टकारी संगठन, श्री बजरंग लाल शर्मा, सेवानिवृत सदस्य राजस्व मंडल अजमेर, कार्यशाला के समन्वयक के अतिरिक्त अन्य ग्यारह जिलों के 69 प्रतिभागियों ने भाग लिया। यह कार्यशाला मुख्य रूप से अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में भूमि एव वन अधिकारों के विषयों पर केन्द्रित थी।

हरि कृष्ण डामोर/Hari Krishna Damor
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

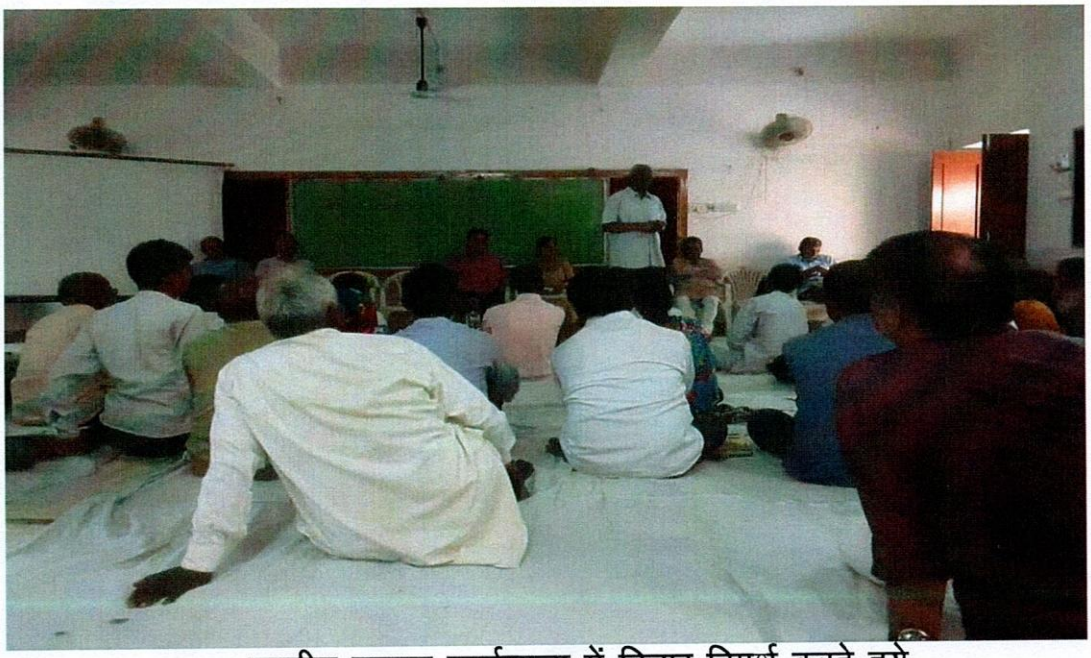

मननीय सदस्य कार्यशाला में विचार विमर्श करते हुये

कार्यशाला में भूमि एवं वन अधिकार अधिनियम के बारे में वन विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी। कार्यशाला में भूमि एवं वन से संबंधित सुझाव भी दिये गये। जिसमें आदिवासी की कृषि भूमि के बाद रूपांतरित जमीन भी गैर आदिवासी को नहीं बिकनी चाहिये। इसके लिये कानून में संशोधन होना चाहिये। गॉव की शामलात जमीन का सीमांकन होना चाहिये। जमीन पर अवैध अतिक्रमण को रोकने के उपाय करने चाहिये। आदिवासी के भूमि खातेदारों के नाम समस्त रिकार्ड में पहचान पत्र, पैन कार्ड, अंक तालिका इत्यादि सभी में सही एवं सम्मानजनक तरीके से लिखे जावे। सरकार द्वारा विकास कार्यो के लिये अधिग्रहण की गई जमीन के बदले जमीन दी जाये। जमीन के दावों के खारिज या स्वीकृत होने की जानकारी मिलनी चाहिये। वन विभाग द्वारा 2005 के पूर्व के कब्जे नहीं हटाये जावे। वन विभाग द्वारा राजस्व विभाग के दावेदारों की पुश्तैनी जमीन का रिकार्ड नहीं रखा गया है। जमीन अधिकार पत्रों में जहां महिलाओं का नाम दर्ज नहीं है, वहां उनका नाम जोडा जाये। भूमि अधिकार पत्रों (पट्टों) में भू राजस्व की खसरा एवं जमाबंदी को नक्शे में चढाया जावे। जनजातीय क्षेत्रों में शामलात भूमियों के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार राजस्व ग्राम की ग्रामसभा का होना चाहिये । इसके अलावा अन्य सुझाव भी दिये गये।

कार्यशाला में सभी प्रतिभागियों का एकमत से यह महसूस करना था कि जनजातीय समुदाय के व्यक्ति मूल रूप से अशिक्षित लेकिन प्रवृति से ईमानदार तथा स्वभाव से शर्मिले होते हैं। वे सामान्यतः अपनी विधिसम्मत मॉगों/अधिकारों के लिये सरकारी कार्यालयों में जाने से भी सकुचाते है। जनजातीय कल्याण से जुड़े सरकारी विभागों, कार्यालयों तथा इनमें कार्यरत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अनुसूचित जनजाति के समुदाय के लोगों की मूलभूत प्रवृति तथा संस्कृति को ध्यान में रख कर पूर्व सक्रियता (proactively) से इनके कल्याण हेतु कार्यवाही करनी चाहिये। इस भावना से कार्य करने पर ही इनके जीवन स्तर में प्रत्याशित

हरि कृष्ण डामोर/Hari Krishna Damor
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

सुधार देखने को मिलेगा। यह भी बहुत महत्वूपर्ण है कि जनजातीय कल्याण का सही आकलन जनजातीय समुदाय के जीवन स्तर में आए बदलाव से किया जाना चाहिये न कि उनके विकास से संबंधित बजट में किये गये वित्तीय प्रावधानों के आंकडों से।

श्री बजरंग लाल शर्मा, सेवानिवृत सदस्य राजस्व मंडल अजमेर, कार्यशाला के समन्वयक ने कार्यशाला के उद्देश्यों को बताते हुए उपस्थित सहभागियों के चार समूह बनाकर समूहवार रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आग्रह किया।

- अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम, 1996 तथा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में वर्ष 2011 में बनाये गये नियमों के क्रियान्वयन की स्थिति एवं इनके कुशल क्रियान्वयन के संबंध में।
- राजस्थान राज्य में वन अधिकारों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 2006 में बनाएं गए कानून व तत्संबंधी नियमों के अन्तर्गत जनजाति समुदाय व वनवासियों को कानून के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों की वस्तुस्थिति व इसमें सुधार के संबंध में।
- अनुसूचित क्षेत्रों में कृषि भूमि तथा शामलात भूमियों से संबंधित कानूनों के प्रावधानों के अन्तर्गत जनजातीय समुदाय की स्थिति एवं इसे बहेतर बनाने के संबंध में।
- अनुसूचित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन, पेन्शन एवं अन्य सामाजिक अधिकारिता विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति एवं विभिन्न सेवाओं की सुपर्दगी को कुशल बनाने के संबंध में।

रात्रि विश्राम–निजी निवास पर किया।

दिनांक 19.09.2019

कार्यशाला के अन्तिम दिन अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम (PESA) तथा राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण के लिये चलाई गई योजनाओं के क्रियान्वयन इत्यादि के संबंध में विस्तार से विचार–विमर्श किया गया। पेसा का क्रियान्वयन वर्तमान में बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि राजस्थान सरकार द्वारा सन 2011 में बनाएं गए नियम केन्द्रीय कानून के संगत नहीं है। राजस्व गॉव में ग्राम सभा आयोजित करने तथा स्वायत्ता के साथ निर्णय लेने में एक पेशेवर इकाई के रूप में कार्य करने हेतु कार्यात्मक सहायता की जरूरत होती है। इसके लिये ग्राम सभाओं को पेशेवर रूप से कानून सम्मत निर्णय लेने हेतु सशक्त बनाया जावे। वर्तमान में इस अधिनियम के अन्तर्गत नोडल विभाग पंचायती राज है जबकि इस अधिनियम के प्रावधानों के न्यायोचित क्रियान्वयन के लिए इसका नोडल विभाग जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग राजस्थान सरकार होना चाहिये। अनुसूचित क्षेत्रों में सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के बारे में निर्णय लेने का एकमात्र अधिकार राजस्व ग्राम की ग्राम सभा का है। कार्यशाला में एकमत से यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार से निवेदन किया जावे कि प्राकृति संसाधन यथा खनिज उत्खनन इत्यादि के बारे में स्वीकृति जारी करने का निर्णय ग्राम सभा पर छोडा जावे तथा पूर्व में इस आशय की जारी की गयी विधियों के विरूद्व स्वीकृतियों को रद्व किया जावे।

हरि कृष्ण डामोर/Hari Krishna Damor
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कार्यशाला के चारों समूहों ने माननीय सदस्य एवं राज्य सरकार के अधिकारियों के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद माननीय सदस्य ने अपने संबोधन में कहा कि जो मामलें राज्य सरकार से संबंधित है, उन मामलों में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा त्वरित कार्यवाही की जानी चाहिये। नीतिगत, योजना इत्यादि से संबंधित मामलों में आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा विचार विमर्श करने उपरान्त ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि यदि आवश्यकता होगी तो संबंधित अधिकारियों के साथ मामलों का निपटारा करने हेतु आयोग में बैठक भी आयोजित की जा सकती है। माननीय सदस्य ने उपस्थित प्रतिभगियों को आयोग के गठन, कार्यों, शक्तियों एवं सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। माननीय सदस्य ने कार्यशाला में सहभागिता करने के लिये उपस्थित सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया एवं कार्यशाला की सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दी। श्रीमती अंजलि रजोरिया अतिरिक्त आयुक्त जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर ने भी अपने विभाग की ओर से जनजातीय कल्याण की सभी योजनाओं को कुशलता से कियान्वित करने तथा आदिवासी परिवारों की विभिन्न परिवेदनाओं का पूर्ण संवेदनशील होकर व पारदर्शिता से निपटारा करने का आश्वासन दिया। इसके बाद कार्यशाला में उपस्थित सभी का धन्यवाद देते हुये कार्यशाला समाप्त हुई।

रात्रि विश्राम–निजी निवास पर किया।

दिनांक 20/09/2019

उदयपुर से प्रस्थान कर ग्राम झुजारपुरा का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान सामने आया कि झुजारपुरा में सड़कों की स्थिति जर्जर है। पेयजल की व्यवस्था ठीक नहीं है। मजदूरी करने वाले ग्रामीणों के श्रमिक कार्ड नहीं बने हुये है। ग्रामीणों द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालयों का निमार्ण किया गया है लेकिन अभी तक मजदूरों को उनकी मजूदरी नहीं मिली है। माननीय सदस्य ने कहा कि सड़को की मरम्मत की आवश्यकता है। पेयजल की व्यवस्था में सुधार कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना चाहिये। प्रशासन को चाहिए कि ग्रामीणों द्वारा किये गये मजदूरी के कार्य का भुगतान समय पर किया जाना चाहिये।

श्री पदमाराम भील एसटी मोर्चा मण्डल अध्यक्ष ने माननीय सदस्य से मुलाकात कर अवगत कराया कि पंचायत समिति गोगुन्दा के गॉव जसवन्तगढ़ के सलावडा, रत्नातलाई, अजयपुरा, भाविक बस्ती व झुझांरपुरा में पक्की सड़के नहीं हैं। सभी गॉवों में पीने के पानी की समस्या है। आज के आधुनिक युग में भी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति पेयजल के लिये पारम्परिक स्त्रोतों (कुओं या नालों इत्यादि) पर ही निर्भर है। सभी गॉवों के लगभग 60 से 70 प्रतिशत लोगों को सरकार द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय निर्माण का लाभ नहीं मिला है। जातीय भेदभाव के कारण मनरेगा के जोब कार्ड नहीं बन रहे हैं। रोजगार नहीं मिल रहा है जिसके कारण सरकारी योजना धरातल पर ग्रामीणों तक नहीं पहुंच रही है।

इसके बाद कालीबोर कोटड़ा का दौरा किया गया। उपस्थित अनुसूचित जनजाति के लोगों ने माननीय सदस्य को अवगत करवाया कि मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। श्री गेनाराम को वन अधिकार अधिनियम के तहत जमीन का अधिकार पत्र मिला है परन्तु डूब क्षेत्र आ गई खातेदारी जमीन का मुआवजा अभी तक नहीं मिला है।

हरि कृष्ण डामोर/Hari Krishna Damor
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

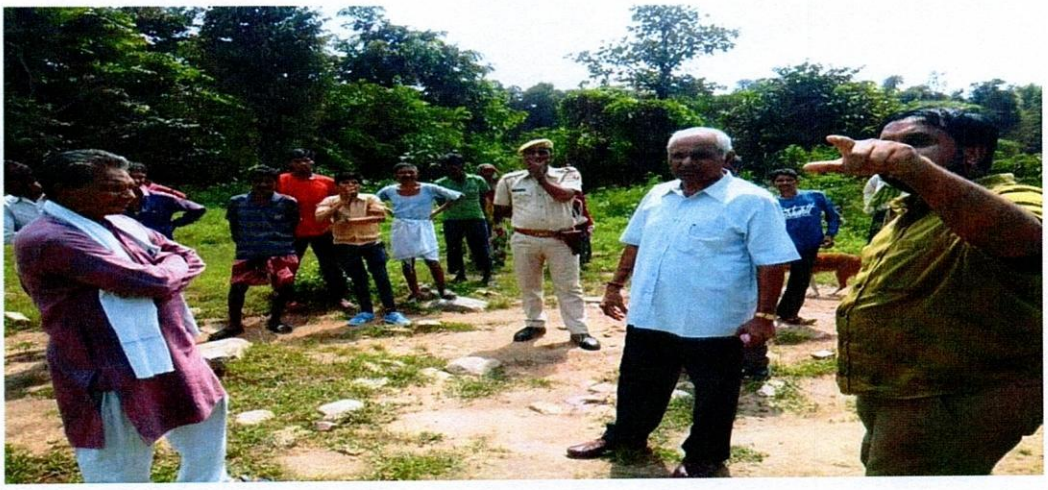

इसके पश्चात् गॉव चक बामणीमाता का दौरा किया गया। उपस्थित ग्रामीणाों ने माननीय सदस्य को बताया कि पानी, पक्की सड़क एवं शौचालय का निर्माण इत्यादि की समस्यायें है। ग्रामीणों को वन अधिकार अधिनियम के तहत भूमि अधिकार पत्र निर्गत नहीं किये जा रहे हैं। यह एक बड़ी समस्या है। माननीय सदस्य ने कहा कि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को सर्वे करवाकर पात्र लाभार्थियों को शीघ्र अधिकार पत्र जारी किये जाने चाहिये।

श्री देवाराम एवं अन्य ने भूमि अधिकार पत्र दिलवाने हेतु आवेदन दिया। आवेदन में उल्लेख किया गया कि दावे किये गये 11 मामलों में से 10 मामलों को चारागाह की जमीन बताकर निरस्त कर दिया गया है। अनुरोध किया है कि इस संबंध में पुनः निष्पक्ष जॉच करवाकर पात्र व्यक्तियों को भूमि अधिकार पत्र दिलवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

श्री धरमचन्द खैर आदिवासी विकास मंच गांव पोस्ट कोटडा (छावनी) जिला उदयपुर ने माननीय सदस्य से मुलकात कर ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि कोटडा उपखण्ड में वन विभाग द्वारा गलत तरीके से भूमि अधिकार पत्रों को निरस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। कुल 341 में से 70 दावे ही स्वीकृति हेतु जिला स्तर पर भेजे गये जबकि 221 दावे भेजे जाने चाहिये थे। उन्होंने अनुरोध किया कि दावों की पुनः निष्पक्ष जॉच करवाकर वाजिब दावेदारों को भूमि अधिकार पत्र दिलवाने हेतु संबंधित विभाग को दिशा निर्देश जारी करें।

वन अधिकार मान्यता कानून के तहत प्रत्येक गांव को सामुदायिक वन अधिकार पत्र दिया जाना है। कोटड़ा ब्लॉक में कुल 39 गांवों द्वारा यह दावा प्रस्तुत किया गया है। जिसमें कुल 12 गांवों को जिला स्तरीय समिति ने अधिकार पत्र जारी किये। शेष गांवों के सामुदायिक दावों में यह टिप्पणी की है कि सुप्रीम कोर्ट के 2002 के आदेश की अनुपालना में किसी भी वन्यजीव अभ्यारण एवं राष्ट्रीय उद्यान में सामुदायिक अधिकार नहीं दे सकते है। सुप्रीम कोर्ट के 2002 के आदेश के बाद वन अधिकार कानून 18 दिसम्बर, 2006 पारित हुआ है। उसमें स्पष्ट रूप से अंकित है कि किसी भी प्रकार के वन में यदि अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों का अधिकार होगा तो उन्हें उनका अधिकार दिया जायेगा। आवेदन के माध्यम से अनुरोध किया है कि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग राजस्थान सरकार को उचित दिशा

हरि कृष्ण डामोर / Hari Krishna Damor
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

निर्देश जारी कर वन्यजीव अभ्यारण्य में बसे अनुसूचित जनजाति बाहुल्य गांवों को सामुदायिक वन अधिकार दिलवाने का आदेश पारित करावे।

रात्रि विश्राम–निजी निवास पर किया।

दिनांक 22.09.2019 को शाम 1815 बजे उदयपुर रेलवे स्टेशन से मेवाड एक्सप्रैस द्वारा प्रस्थान कर दिनांक 23.09.2019 को सुबह 0635 बजे हजरत निजामुद्धीन रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली पर आगमन।

नोटः कार्यशाला रिपोर्ट में प्रतिभागियों द्वारा की गई सिफारिशों की रिपोर्ट संलग्न है।

(हरिकृष्ण डामोर)

हरि कृष्ण डामोर/Hari Krishna Damor
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

लोकतंत्र शाला

अनुसूचित क्षेत्र में भूमि व वन अधिकारों पर कार्यशाला

सितम्बर 16 से 19, 2019

स्थान: आस्था प्रशिक्षण केन्द्र, बेद्ला, उदयपुर

कार्यशाला रिपोर्ट

अनुसूचित क्षेत्र में भूमि व वन अधिकारों के क्रियान्वयन पर एक कार्यशाला आस्था प्रशिक्षण केन्द्र पर दिनांक 16 सितम्बर से 19 सितम्बर, 2019 तक आयोजित की गयी| कार्यशाला में राजस्थान राज्य के ग्यारह जिलों से विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं ने भाग लिया । इसके साथ ही कार्य शाला में संविधान, भूमि, खनन, वन, शामलात भूमि, जन जातीय कल्याण व संरक्षण सम्बंधी क़ानूनों के विषय विशेषज्ञों ने भी प्रतिभागियों के साथ विस्तार से विचार विमर्श किया। कार्यशाला में राष्ट्रीय जन् जाति आयोग के माननीय सदस्य- श्री हरी कृष्ण दामोर, मज़दूर किसान शक्ति संगठन से श्रीमती अरुण रॉय व निखिल डे, कष्टकारी संगठन से श्री प्रदीप प्रभु, आस्था से श्रीमती जिन्नी श्रीवास्तव, जनजाति आयुक्त कार्यालय से अतिरिक्त आयुक्त श्रीमती उर्मिला राजोरिया, वन विभाग से सहायक वन संरक्षक श्री ने भाग लिया । कार्यशाला में भाग लेने वाले प्रतिभागियों व सन्दर्भ व्यक्तियों की सूची अनुलग्नक-1 पर उपलब्ध है ।

कार्यशाला में सभी प्रतिभागियों का एक मत से यह महसूस करना था कि जन जातीय समुदाय के व्यक्ति मूल रूप में अशिक्षित लेकिन प्रवृत्ति से ईमानदार तथा स्वभाव से शर्मिले होते हैं । वे सामान्यतः अपनी विधिसम्मत माँगों/ अधिकारों के लिए भी सरकारी कार्यालयों में जाने से सकुचाते हैं। अतः जन जातीय कल्याण से जुड़े सरकारी विभागों, कार्यालयों तथा इनमें कार्यरत अधिकारियों को इस समुदाय के लोगों की मूलभूत प्रवृत्ति तथा संस्कृति को ध्यान में रख कर पूर्व- सक्रियता (proactively) से इनके कल्याण हेतु कार्यवाही करनी चाहिये।केवल इस भावना से कार्य करने पर ही इनके जीवन स्तर में प्रत्याशित सुधार देखने को मिल सकता है।

कार्यशाला में यह भी स्पष्ट किया गया कि भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री श्री जवाहर लाल नेहरु का यह कथन जन जातीय कल्याण के सन्दर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जन जातीय कल्याण का सही आकलन जन जातीय समुदाय के जीवन स्तर में आए बदलाव से किया जाना चाहिये न कि उनके विकास से सम्बंधित बजट में किये वित्तीय प्रावधानों के आँकड़ों से | कार्यशाला में हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:

प्रथम दिन:

कार्यशाला के प्रारम्भ में संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों तथा नागरिकों के कर्तव्यों पर विचार विमर्श किया गया। इसलिए बाद कार्यशाला में जन जातीय समुदाय को प्रदत्त संवैधानिक संरक्षणों तथा विभिन्न केंद्रीय क़ानूनों में उनके कल्याण हेतु किए गये उपायों पर प्रकाश डाला गया | विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद। 13(3), 15, 243, 244, 330, 332, 335, 338, 342, 366 तथा संविधान की पाँचवी अनुसूची व जनजातीय सलाहकार परिषद पर प्रतिभागियों का ध्यान आकर्षित किया गया। कार्यशाला में श्री प्रदीप प्रभु ने प्रतिभागियों के समक्ष यह मूल प्रश्न भी खड़ा किया कि वे इस कार्यशाला से क्या चाहते हैं ?कार्यशाला के प्रतिभागियों ने चार समूह बना कर इस मूल प्रश्न व इसकी प्रक्रियाओं पर विमर्श कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

दूसरा दिन:

कार्यशाला के दूसरे दिन राज्य में हुए भूमि व जन जातीय आंदोलनों तथा राज्य में बनाए गए भूमि सम्बन्धी महत्वपूर्ण क़ानूनों - राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम-पर विचार विमर्श किया गया। प्रतिभागियों ने विशेष रूप से भूमि की परिभाषा, प्रकार, खातेदारी अधिकारों की घोषणा, विरासत, भूमि का हस्तांतरण, भूमि आवंटन, कृषि भूमि का बँटवारा, रहन रखी गयी भूमि का क़ब्ज़ा छुड़वाना, भूमि का क़ब्ज़ा प्राप्त करना, सर्वे एवं सेटलमेंट, भूमि का माप जोख, राजस्व प्रशासन का ढाँचा, पटवारी के स्तर पर संधारित भू अभिलेख तथा इन्हें मोबाइल पर देखना, शामलात भूमियाँ, भूमि रूपांतरण सम्बंधी प्रावधानों आदि के सम्बंध में विस्तार से चर्चा की।

तृतीय दिन:

कार्यशाला के तीसरे दिन अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार (PESA) अधिनियम, 1996 एवं राज्य सरकार द्वारा 2011 में बनाये गये नियमों व इसी प्रकार वन अधिकार अधिनियम , 2006 व तत्सम्बंधी नियमों पर विस्तार से विमर्श किया गया। श्री प्रदीप प्रभु, जो इन दोनों ही क़ानूनों को ड्राफ़्ट किये जाने में सक्रिय रूप से संलग्न रहे हैं, ने प्रतिभागियों को इन अधिनियमों के मुख्य प्रावधानों की मूल भावना से अवगत कराया। कार्यशाला में हुए गहन विचार विमर्श के बाद शाम छः बजे प्रतिभागियों के चार समुह बनाये गये जिन्होंने निम्न चार विषयों पर विमर्श किया:

1. अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम, 1996 (PESA) तथा राज्य सरकार द्वारा इस सम्बंध में वर्ष 2011 में बनाये गये नियमों के क्रियान्वयन की स्थिति एवं इनके कुशल क्रियान्वयन हेतु सिफ़ारिशें
2. राजस्थान राज्य में वन अधिकारों पर केंद्रीय सरकार द्वारा वर्ष 2006 में बनाए गए क़ानून व तत्सम्बंधी नियमों के अंतर्गत जन जाति समुदाय व वनवासियों को क़ानून के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों की वस्तुस्थिति व इसमें सुधार हेतु सिफ़ारिशें
3. अनुसूचित क्षेत्रों में कृषि भूमि तथा शामलात भूमियों (commons) से सम्बंधित क़ानूनों के प्रावधानों के अंतर्गत जन जातीय समुदाय की स्थिति एवम् इसे बेहतर बनाने हेतु सुझाव
4. अनुसूचित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन, पेन्शन व अन्य सामाजिक अधिकारिता विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति एवं विभिन्न सेवाओं की सुपर्दगी को कुशल बनाने हेतु सुझाव

चौथा दिन:

प्रतिभागियों के चारों समूहों ने प्रातः दो घंटे विमर्श कर रिपोर्ट तैयार कर सदन , विभागीय अधिकारियों व राष्ट्रीय आयोग के माननीय सदस्य के समक्ष प्रस्तुत की। प्रतिभागियों के समूहों की रिपोर्ट व सिफ़ारिशें निम्न प्रकार हैं:

1. नीतिगत सिफ़ारिशें :

(i) अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम तथा तत्संबंधी नियमों के सम्बंध में:

(क) अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम (PESA), 1996 के प्रावधानों का क्रियान्वयन वर्तमान में बिलकुल भी संतोषजनक नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि राजस्थान सरकार द्वारा सन 2011 में बनाए गए नियम केंद्रीय क़ानून के असंगत (inconsistent) हैं। इनमें व्यापक संशोधनों की आवश्यकता है। केंद्रीय क़ानून विशिष्ठ विषयों पर राजस्व गाँव की ग्राम सभा को निर्णय लेने में अधिकार समृद्ध बनाता है जबकि 2011 के नियम ग्राम पंचायत के सरपंच की अध्यक्षता वाली ग्राम सभा को। कार्यशाला में सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार को 2011 में बनाये गये नियमों को प्रत्याहारित करने एवं 1996 के केंद्रीय क़ानून की भावना को ध्यान में रखते हुए नये सिरे से नियम बनाने हेतु निवेदन किया जावे जिनके अंतर्गत राजस्व ग्राम की ग्राम सभा को अधिनियम में उल्लेखित सभी विषयों पर निर्णय लेने की स्वायत्तता मिले।

(ख) अनुसूचित क्षेत्रों में तेन्दु पत्ते की नीलामी वन विभाग द्वारा किया जाना; खान विभाग द्वारा बिना ग्राम सभा के अनुमोदन के खनन पट्टे जारी करने की कार्यवाही; आबकारी विभाग द्वारा देशी व अंग्रेज़ी शराब की दुकानें खोलना तथा इसी प्रकार अधिनियम में वर्णित सभी विषयों पर बिना ग्राम सभा के अनुमोदन कोई भी कार्यवाही अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। अनुसूचित क्षेत्रों में सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के बारे में निर्णय लेने का एक मात्र अधिकार राजस्व ग्राम की ग्राम सभा का है। अतः कार्यशाला में एकमत से यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार से निवेदन किया जावे कि तेन्दु पत्तों / शराब की दुकानों की नीलामी एवं अन्य प्राकृतिक संसाधन यथा खनिज उत्खनन आदि के बारे में स्वीकृति जारी करने का निर्णय ग्राम सभा पर छोड़ा जावे तथा पूर्व में इस आशय की जारी की गयी विधि विरुद्ध स्वीकृतियों को रद्द किया जावे।

(ग) यह भी एक तथ्यात्मक स्थिति है कि राजस्व गाँव में ग्राम सभा आयोजित करने तथा ग्राम सभा में स्वायतता के साथ निर्णय लेने में एक पेशेवर इकाई के रूप में कार्य करने हेतु कार्यात्मक सहायता की ज़रूरत है।इस हेतु ग्राम सभाओं को पेशेवर रूप से क़ानून सम्मत निर्णय लेने हेतु सशक्त बनाया जावे । इस हेतु ग्राम सभाओं में प्रारम्भिक पाँच वर्षों में स्वैच्छिक संगठनों तथा वरिष्ठ शासकीय कर्मिकों की तकनीकी पेशेवर सहायता उपलब्ध करायी जावे। यह व्यवस्था नियमों का हिस्सा बने।

(घ)वर्तमान में इस अधिनियम के अंतर्गत नोडल विभाग पंचायती राज है जबकि इस अधिनियम के प्रावधानों के न्ययोचित क्रियान्वयन के लिए इसका नोडल विभाग जन जाति कल्याण विभाग किया जाना आवश्यक है।

(च) इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों में ग्राम स्तर की ग्राम सभा के अधिकार तथा कार्य प्रणाली स्पष्ट रूप से परिभाषित हो। ग्राम पंचायत व पंचायत के किसी राजस्व ग्राम की ग्राम सभा के कार्य क्षेत्र तथा अधिकारों को स्पष्ट किया जावे जिससे ग्राम पंचायत से नीचे गाँव व फले तक पंचायती राज का विकेंद्रीकरण महसूस हो सके।नियमों में यह स्पष्ट हो कि ग्राम पंचायत के सरपंच व सचिव पंचायत के क्षेत्राधिकार के सभी गाँवों की ग्राम सभाओं के अध्यक्ष व सचिव नहीं होंगे एवं प्रत्येक गाँव की ग्राम सभाअपने विकास के मुद्दों पर (ग्राम पंचायत के सरपंच व सचिव के बिना) स्वयं निर्णय लेने में स्वतंत्र होंगी ।

(ii) अनुसूचित जातियों तथा अन्य परम्परागत वनवासियों (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनिनियम, 2006 व तत्संबंधी नियमों के सम्बंध में:

(क) इस अधिनियम की उद्देशिका में संसद में यह स्वीकार किया गया की वनों में रहने वाली अनुसूचित जन जातियों व परम्परागत वनवासियों को इतने लम्बे समय तक इनको वन भूमि के आधिकारिक उपयोग से वंचित रखना एक ऐतिहासिक भूल थी। संसदीय बहस को सुनने से यह भी स्पष्ट होता है कि संसद में यह महसूस किया गया कि जहाँ आदिवासी हैं वहाँ जंगल है तथा जहाँ जंगल है वहाँ आदिवासी है। इस प्रकार इस अधिनियम की मूल भावना को ध्यान में रख कर अनुसूचित जन जातियों के सामुदायिक एवं व्यक्तिगत वन अधिकार दावों का पूर्ण संवेदनशीलता से निस्तारण किए जाने की आवश्यकता है। अभी तक इस प्रक्रिया में संलग्न वन व अन्य शासकीय विभागों के अधिकारियों की कार्यशैली में सुधार की आवश्यकता है। जब तक इस प्रक्रिया में संलग्न अधिकारियों के रवैये (मनोदृष्टि) में बदलाव नहीं आयेगा तब तक इस अधिनियम के अंतर्निहित उद्देश्य पूरे नहीं होंगे। यह एक नीतिगत प्रश्न एवं आदिवासी समुदाय की माँग है।

(iii) कृषि भूमि एवं शामलात भूमियों (commons) के सम्बंध में

(क) अनुसूचित जन जाति समुदाय के व्यक्तियों की खातेदारी भूमि के अंतरण (transfer) पर यद्यपि राजस्थान काशतकारी अधिनियम की धारा 42 में पूर्ण प्रतिबंध है लेकिन वर्तमान में इस समुदाय के खातेदारों की कृषि भूमि को अन्य प्रयोजनों के लिए रूपांतरित (conversion of agricultural land for other purposes) करवा कर धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। अतः राजस्थान काशतकारी अधिनियम की धारा 42 में यह भी प्रावधान किया जावे की अनुसूचित जाति के खातेदारी की भूमि का राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अन्य प्रयोजनों से रूपांतरण होने के बाद भी ग़ैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अंतरण निषिद्ध रहेगा।

(ख) अनुसूचित जन जाति समुदाय के खातेदारी की भूमि का किसी भी अन्य व्यक्ति के पास मय क़ब्ज़े के रहन (mortgage with possession) पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जावे। राजस्थान कशतकारी अधिनियम की धारा 43 में वांछित संशोधन किया जावे ।

(ग) अनुसूचित जन जाति समुदाय के कशतकारों का उतराधिकार (succession) वर्तमान में उनके प्रचलित रीति रिवाजों या पूराने हिंदू विधि से शासित होता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 2 (2) में यह उल्लेखित है कि केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद ही 1956 के अधिनियम के प्रावधान जन जाति समुदाय पर लागू होंगे। आज तक इस आशय की अधिसूचना केंद्रीय सरकार द्वारा जारी नहीं हो पायी है विभिन्न उच्च न्यायालयों व सर्वोच्च न्यायालय से समय समय पर अलग अलग तरह के निर्णय हो रहे हैं। अतः इन परिस्थितियों में अनुसूचित जन जातियों के उतराधिकार के मसले का व्यवस्थित निस्तारण करने के लिए राज्य जन जाति सलाहकार परिषद (TAC) तथा राष्ट्रीय जन जाति आयोग को यह मामला विचरार्थ प्रेषित किया जावे।

(घ) जन जातीय क्षेत्रों में शामलात भूमियों (Commons) व सामुदायिक संसाधनों के उपयोग बाबत कोई भी निर्णय लेने में राजस्व ग्राम की ग्राम सभा को ही अधिकार समृद्ध किया जावे ।

(IV) शिक्षा, स्वास्थ्य व सामाजिक अधिकारिता से सम्बंधित विषयों पर:

(क) राज्य में जन जातीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुए क़रीब 7 वर्ष हो गये हैं लेकिन अभी तक यह विश्वविद्यालय शिक्षा व अनुसंधान के क्षेत्र में जन जाति कल्याण का कोई कार्य नहीं कर पाया है। कार्य शाला में एक मत से यह सुझाव दिया गया कि इस विश्वविद्यालय का प्रशासनिक विभाग जन जाति मंत्रालय हो तथा इसके सलाहकार परिषद् में राष्ट्रीय जन जाति आयोग, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान व राष्ट्रीय स्तर के जन

जाति विषयों पर शिक्षा व अनुसंधान करने वाले शिक्षाविदों को शामिल किया जाए जिससे यह विश्व विद्यालय अपने अस्तित्वको सिद्ध कर सके।

(ख) जन जातीय क्षेत्रों में सामाजिक अधिकारिता से सम्बंधित सभी गतिविधियों व कुशल सेवा सुपर्दगी के लिये जन जातीय आयुक्त कार्यालय को नोडल कार्यालय बनाया जावे तथा इस कार्यालय को पूर्ण रूप से अधिकार समृद्ध कर जन जातीय कल्याण के लिए पूर्ण रूप से ज़िम्मेवार बनाया जावे। जन जातीय क्षेत्र की शिक्षा, स्वास्थ्य, खनन, वन, जल प्रबन्धन, राशन, पेन्शन, क़ानून व्यवस्था, रोजगार, कृषि आदि गतिविधियों की समीक्षा व मॉनिटरिंग भी इसी कार्यालय में हो। एक प्रकार से उदयपुर स्थित जन जातीय कार्यालय जन जातीय कल्याण से सम्बंधित सभी नीतिगत व क्रियान्वयन के निर्णय लेने में सक्षम हो।

2. प्रशासनिक रूप से क्रियान्वयन योग्य सिफ़ारिशें:

(i)अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम (PESA) व नियमों के सम्बंध में:
(क) ग्राम - स्तर पर ग्राम सभाओं का आयोजन नियमित रूप से प्रारम्भ किया जाकर विकास की सभी गतिविधियाँ ग्राम सभा के अनुमोदन से प्रारम्भ की जावें। ग्राम सभाओं के ढाँचे को सुदृढ़ करने हेतु उन्हें पेशेवर दिशा निर्देश देने हेतु प्रशासनिक पहल की जावे।

(ख) अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित राजस्व गाँवों में बिना सम्बंधित ग्राम सभा के अनुमोदन के जो खनन पट्टे, विकास कार्य, शराब की दुकानें आदि स्वीकृत हुए हैं उनकी समीक्षा की जावे। तथा भविष्य में सभी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग ग्राम सभा के निर्णय के अधीन हो।

(ii) वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के सम्बंध में:
(क) यह एक त्रासदी है कि इस अधिनियम के लागू होने के क़रीब 13 वर्ष बाद भी सामुदायिक तथा व्यक्तिगत दावों का निपटारा होना बड़ी संख्या में शेष है।इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत सामुदायिक व व्यक्तिगत दावों/ अपीलों के तार्किक निस्तारण की समय सीमा (Time Limit) तय की जावे। वर्तमान में भी वर्षों पहले प्रस्तुत दावों पर अभी निर्णय होना शेष है। किसी भी दावे को बिना प्रार्थी की सुनवाई तथा भौतिक रूप से संयुक्त टीम द्वारा मौक़ा निरीक्षण किए बिना ख़ारिज नहीं किया जावे । दावा खारिजी का आदेश कारण बताते हुए लिखित में प्रार्थीको दिया जाकर उससे रशीद ली जावे। आंशिक रूप से स्वीकृत दावों के आदेशों की भी सूचना नहीं मिलने पर आवेदक द्वारा समय पर अपील भी प्रस्तुत नहीं हो सकी है। व्यक्तिगत व सामुदायिक दावों के व्यवस्थित निपटारे के लिए तीन माह तथा अपील के निपटारे के लिए भी तीन माह का समय निर्धारित हो।

(ख) इस अधिनियम के अंतर्गत जारी किए गये व्यक्तिगत व सामुदायिक पट्टों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जावे तथा पट्टे धारकों की मृत्यु की दशा में उनके उत्तराधिकारियों के नाम पट्टे व अभिलेख में दर्ज होने की प्रक्रिया निश्चित की जावे।पट्टों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभ लेने अर्थात भवन निर्माण/ भूमि सुधार हेतु बैंक ऋण आदि के लिए मान्य किया जावे। यहाँ तक कि सामुदायिक पट्टों को भी वन सुधार तथा विभिन्न वन मैत्री गतिविधियों (forest - friendly activities) के लिए ऋण आदि लेने हेतु मान्य किया जावे।

(ग) सामुदायिक व व्यक्तिगत उपयोग के पट्टों के साथ सही भौगोलिक स्थिति दर्शाने हेतु प्रत्येक पट्टे के साथ नक़्शा अवश्य संलग्न किया जावे ।पूर्व में जारी बहुत से पट्टों पर न तो नक़्शा है तथा न हीअक्षांश -देशांतर। ऐसे कई पट्टों पर महिलाओं के नाम भी संयुक्त पट्टा धारक के रूप में दर्ज नहीं है। पट्टे बहुत ही हल्के काग़ज़ पर तैयार

किए गए हैं। ऐसे सभी पूर्व में जारी पट्टों को आगामी तीन माह में सही कर उन्हें लेमिनेट कर आदिवासी परिवारों को सौंपा जावे तथा नए पट्टे सही ढंग से सभी विवरणों के साथ लेमिनेट कर जारी किये जावें ।

(घ) राजस्थान राज्य में सामुदायिक दावों का निस्तारण अधिनियम की भावना के अंतर्गत न किया जाकर मात्र एक औपचारिकता का निर्वाह करते हुए वन क्षेत्र में सड़क, स्कूल, आंगनवाड़ी केन्द्र आदि की ज़मीनों को सामुदायिक उपयोग की भूमि मान कर सामुदायिक पट्टे जारी किए गए हैं। जबकि जन जाति समुदाय के व्यापक उपयोग में ली जाने वाली भूमि के पट्टे हेतु प्रस्तुत दावे या तो मनमाने ढंग से ख़ारिज कर दिए गए या आंशिक रूप से स्वीकृत कर दिए गये या अभी तक उन पर विचार ही नहीं किया गया। कार्यशाला में एक मत से यह व्यक्त किया गया कि जन जाति समुदाय को परम्परागत रूप से स्थानीय वन भूमि का, उपयोग, संरक्षण, प्रबंध के लिये हितबद्ध पक्षकार मान कर सामुदायिक दावों पर अधिनियम की भावना से विचार कर इनका तार्किक निस्तारण आगामी तीन माह में किया जावे।

(च) कार्य शाला में यह भी स्पष्ट किया गया कि विभाग द्वारा पूर्व में ख़ारिज किए गए दावों तथा दावों की आंशिक स्वीकृति की स्थिति में पुनः शिविर आयोजित कर भौतिक सत्यापन के बाद इन प्रकरणों की नए शिरे से समीक्षा का निर्णय लिया गया था उस निर्णय की पालना नीचे स्तर पर व्यवस्थित ढंग से नहीं हो पायी। अतः ख़ारिज किए गए एवं आंशिक रूप से स्वीकृत व्यक्तिगत व सामुदायिक दावों का संयुक्त टीम द्वारा भौतिक सत्यापन कर व्यवस्थित निस्तारण पुनः किया जावे।

(छः) व्यक्तिगत व सामुदायिक दावों के निस्तारण की प्रक्रिया में वन विभाग द्वारा जारी किए गए अतिक्रमण सम्बन्धी नोटिस को ही एक मात्र विश्वसनीय साक्ष्य माना जाता है जबकि अधिनियम की धारा 13 के प्रावधान इस सम्बंध में बहुत स्पष्ट है। कार्यशाला के प्रतिभागियों का अनुरोध है कि क़ानून की भावना को ध्यान में रख कर अधिनियम की धारा 13 में उल्लेखित सभी प्रकार की साक्ष्य का सम्मान करते हुए इन दावों का व्यवस्थित निस्तारण किया जावे।

(ज) वन अधिकार अधिनियम के सभी प्रकार के दावों का निपटारा ग्राम की ग्रामसभा द्वारा किया जाना चाहिए न कि ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित सरपंच की अध्यक्षता वाली ग्राम पंचायत से। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम के अंतर्गत ग्राम स्तर की ग्राम सभा द्वारा ही दावों की जाँच कर निर्णय लेना क़ानून सम्मत है ।

(झ) ज़िला व खंड स्तर पर वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गठित समितियों में जन प्रतिनिधि के रूप में चुने हुए विधायक तथा प्रधानों को समितियों में प्रतिनिधित्व दिया जावे। वर्तमान में इन समितियों में ज़िला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों को रखा गया है।

(ट) राज्य में वन अधिकार के सामुदायिक व व्यक्तिगत दावे ग्राम स्तर व खंड स्तर पर बड़ी संख्या में विचाराधीन पड़े हुए हैं जिनमे से बहुत से दावों को रजिस्टर भी नहीं किया गया है। इसी कारण विभाग तथा आवेदकों के कथन/ तथ्य मेल नहीं खा रहें हैं । अतःऐसे सभी दावों को दर्ज कर इनका आगामी तीन माह में आवेदकों को सुन कर तथा संयुक्त टीम द्वारा भौतिक सत्यापन के बाद ग्राम सभा के माध्यम से निपटारा किया जावे।

(ठ) राज्य में वनअधिकारों से सम्बंधित सभी दर्ज / स्वीकृत/ अस्वीकृत व्यक्तिगत तथा सामुदायिक दावों को विभाग की वेब साइट पर व्यक्ति के नाम से गाँव वार प्रदर्शित किया जावे। इसी प्रकार सभी अपीलों की भी दर्ज/

स्वीकृत/ खारिजी की जानकारी भी नामज़द एवं ग्राम वार वेब साइट पर सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत एक विभागीय दायित्व के अंतर्गत प्रदर्शित की जावे। इसके साथ ही वन अधिकार से सम्बंधित प्रक्रियाओं को ऑन लाइन कर एक कुशल प्रबंध सूचना प्रणाली(MIS) को स्थापित किया जावे जिसमें अनुसूचित क्षेत्र की सभी आवश्यक सूचनाएँ आदिनांकित रूप से उपलब्ध हों।

(ड) उदयपुर संभाग में हज़ारों हेक्टेयर वन / राजस्व भूमि का सर्वेक्षण अभी तक नहीं हुआ है जिसके कारण आदिवासी समाज के लोगों को कृषि भूमि के आबँटन/ नियमन तथा वन अधिकारों के पट्टे जारी होने में कठिनाई आ रही है। असर्वेक्षित भूमि के खसरा नम्बर, भूमि की क़िस्म व क्षेत्रफल आदि के विवरण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं होते । अतः ऐसी असर्वेक्षित भूमियों (unsurveyed lands) का सर्वेक्षण शीघ्र करवाया जावे जिससे कि भूमि से सम्बंधित जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हो सके।

(iii) कृषि भूमि तथा शामलात भूमि के सम्बंध में:
(क) अनुसूचित क्षेत्रों में उपलब्ध सिवाय चक / बिला नाम भूमियों का आबँटन प्राथमिकता के आधारपरअनुसूचित जन जाति के भूमिहीन व्यक्तियों को किया जाए तथा इसी प्रकार से जिन आदिवासी परिवारों का बिलानाम/ सिवाय चक भूमि पर लम्बे समय से क़ब्ज़ा है ऐसी भूमियों का नियमन पात्र आदिवासी परिवारों को किए जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जावे।

(ख) आदिवासी कशतकारों की कृषि भूमि से सम्बंधित भू अभिलेखों को आदिनांक करने के लिये यथा नामान्तरण खुलवाने, भूमि का बँटवारा, खातेदारी अधिकारों की घोषणा, हेतु ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शिविर आयोजित किए जावें । खातेदारी भूमि पर अनधिकृत रूप से ग़ैर आदिवासी व्यक्ति की बेदख़ली तथा इसी प्रकार उनकी कृषि भूमि का क़ब्ज़े के साथ रहन के मामलों में भी बेदख़ली की कार्यवाही भी अभियान के शिविरों में की जावे।

(ग़) कार्यशाला में यह भी महसूस किया गया कि राजस्व अभिलेखों में आदिवासी व्यक्तियों के नाम सम्मानजनक ढंग से नहीं लिखे गये हैं जैसे कालिया, हरकरिया, थावरिया (वास्तविक नाम - कालूराम, हरका राम व थावर राम) इसी प्रकार उनकी मतदाता सूची, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक, स्कूल, ड्राइविंग लाइसेन्स आदि में भी नाम भू अभिलेखों के अनुसार लिखे गए हैं। सभी प्रतिभागियों का अनुरोध है कि जन जाति विभाग इसे एक अभियान के रूप में सम्पादित कर आदिवासी व्यक्तियों के नाम सम्मानजनक ढंग से सभी शासकीय दस्तावेज़ों में एक समान दर्ज करवाये जावें । साथ ही सभी विद्यालयों को यह निर्देशित किया जावे की स्कूल में प्रवेश के समय बच्चों के सुंदर व सम्मानजनक नाम लिखे जाँवे जीमस भविष्य में इस समस्या का अंत हो सके।

(घ) अनुसूचित क्षेत्रों में शामलातभूमियों (commons) जैसे चारागाह, तालाब, नदी, ओरण, श्मसान,रास्ते आदि के प्रबंधन व संरक्षण हेतु इनका सीमांकन करवाया जावे एवं इनके विकास हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार योजना के अंतर्गत बड़े पैमाने पर कार्य स्वीकृत करवाए जावें।

(च) राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार योजना के अंतर्गत आदिवासी परिवारों की खातेदारी भूमियों पर भी भूमि सुधार के कार्य प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत किए जाँवे।

(छ) आदिवासी खातेदारों को अपनी खातेदारी भूमि पर खनन पट्टे जारी किए जाँवे तथा जन जाति उप योजना क्षेत्रों में ज़िला खनन कोष (DNF) की राशि का उपयोग की समीक्षा जन जाति आयुक्त कार्यालय में की जावे। जन जाति क्षेत्र में जारी खनन पट्टों से कई स्थानों पर आदिवासियों के कुएँ सुख गए है व बीमारियाँ भी फैल रही

हैं। अतः आदिवासी समुदाय की खानविभाग से सम्बंधित परिवेदनाओं का निवारण भी जन जाति आयुक्त कार्यालय में हो।

(V) शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन तथा सामाजिक अधिकारिता योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बंध में:

(क) यह तथ्य निर्विवाद है कि अनुसूचित क्षेत्रों में कुशल शिक्षा व्यवस्था आदिवासी परिवारों के जीवन स्तर व उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का एक मात्र ज़रिया है। लेकिन दुर्भाग्य से इस इलाक़े में आदिवासियों के लिए स्थापित विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों में शिक्षकों के पद बड़े पैमाने पर रिक्त पड़े हुए हैं तथा मुख्यतः इसी कारण सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था ठप्प पड़ी हुई है। अतः इस ओर गहन प्रयास किए जाकर स्थिति में सुधार लाया जावे तथा प्रत्येक शैक्षिक इकाई के रिक्त पदों को भरने व गुणात्मक सेवा सुपर्दगी की मासिक समीक्षा की जावे।

(ख) जनजातीय विश्वविद्यालय में 7 वर्षों में जन जातीय विषयों पर शैक्षणिक व अनुसंधान नहीं होना यह स्पष्ट करता है कि विश्वविद्यालय के कुलपति केवल अपना कार्यकाल पूरा कर बिना कुछ किए चले जाते हैं। उनसे यह अपेक्षा तो की ही जा सकती है कि वे फ़ील्डिंग विद्यालयों तथा महा विद्यालयों में जाकर कुछ शैक्षिक नवाचारों को लागू करें तथा अनुसंधान व सृजनात्मक लेखन हेतु शैक्षिक समुदाय को प्रेरित करें। कार्यशाला के प्रतिभागियों का अनुरोध है कि विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों की गतिविधियों की समीक्षा जन जातीय आयुक्त कार्यालय के संवाद में अवश्य हो।

(ग) आंगनवाड़ी केंद्रों व विद्यालयों में दोपहर के भोजन को पोषणकी दृष्टि से बेहतर बनाया जावे तथा बच्चों को अन्य राज्यों की तरह दोपहर के भोजन में उबले अंडे दिये जाने पर विचार किया जावे।

(घ) जन जाति उप योजना क्षेत्र में सामान्यतः महिला पुरुष व बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं लेकिन इन इलाक़ों में चिकित्सा सुविधाएँ कुशल नहीं हैं। अधिकांश दूरस्थ चिकित्सालयों में चिकित्सकों व अन्य कर्मिकों के पद रिक्त पड़े हुए हैं।अतः चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा आवश्यक दवाओं की उपलब्धता बनाये रखने के लिये सामयिक समीक्षा की जावे । बिना सक्षम डिग्री के प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों के ख़िलाफ़ समय समय पर कार्यवाही हो।
(च) जन जाति क्षेत्र में भी भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (BOCWB) के अंतर्गत संचालित योजना में अपात्र लोगों का पंजीयन हो रहा है तथा पात्र निर्माण श्रमिक वंचित रह रहे है। अनुसूचित जन जाति क्षेत्र में बहुत से लोग इस अधिनियम के अंतर्गत लाभान्वित हो सकते हैं अतः ऐसे श्रमिकों के पंजीयन की व्यवस्था हो।

(छ) जन जातीय क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत लाभ सभी पात्र व्यक्तियों/ परिवारों को लाभ मिलने में कतिपय कठिनाइयाँ आ रही हैं जैसे -पोस मशीन पर अँगूठा नहीं आना, सिग्नल नहीं आना, राशन की दुकाने नियमित रूप से नहीं खुलने आदि।अतः इन परिस्थितियों में खाद्य सुरक्षा की योजनाओं की समीक्षा हो तथा कतिपय कालाबाज़ारी करने वालों पर कठोर कार्यवाही की जावे।

(ज़) कार्यशाला में प्रतिभागियों ने अवगत कराया है की पेन्शन वितरण का कार्य भी नियमित रूप से नहीं हो रहा है। लोगों को बढ़ी हुई पेन्शन का भुगतान। नहीं हो पा रहा है। बैंकिंग कॉरेस्पॉडेंट(B.C.) के काम में भी पारदर्शिता का अभाव है। बहुत से पात्र व्यक्तियों को पेन्शन स्वीकृत नहीं हो पा रही है। अतः तहसील स्तरपर पेन्शन शिविर लगा कर पेन्शन सम्बन्धी परिवेदनाओं का निराकरण किया जावे।

(झ) जन जाति उप योजना क्षेत्रों में आबकारी विभाग द्वारा देशी व विदेशी शराब की खोली गयी दुकानों तो बंद करवाया जावे तथा आदिवासियों द्वारा स्थानीय स्तर पर अपनी आवश्यकता के अनुसार देशी शराब बनाने पर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कोई कार्यवाही नहीं हो।

(Vi) जन जातीय कल्याण की विभिन्न योजनाओं के कुशल् क्रियान्वयन के लिए नियमित संवाद:

इस चार दिवसीय कार्यशाला में सभी प्रतिभागियों व सन्दर्भ व्यक्तियों का यह अनुरोध है कि जन जातीय कार्यालय में दो माह में एक बार एक जन संवाद के माध्यम से सभी जन जाति कल्याण से जुड़ी योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की जावे जिसमें सभी विभागों के अधिकारी, सामाजिक संगठनों के व्यक्ति तथा जन प्रतिनिधियों को शामिल किया जावे। ऐसे संवाद से योजनाओं के क्रियान्वयन की सही स्थिति विभाग के समक्ष साफ़ हो सकेगी तथा कार्य प्रणाली में कुशलता व पारदर्शिता आयेंगी। सबका अनुरोध है कि ऐसा संवाद शीघ्र प्रारम्भ किया जावे।

कार्यशाला में चारों समूहों की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद श्री एच. के. दामोर, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय जन जाति आयोग, श्रीमति अरूणा रॉय, श्री प्रदीप प्रभु, श्रीमती जिन्नी श्रीवास्तव, श्री निखिल डे ने भी कार्यशाला के प्रतिभागियों को सम्बोधित किया। श्रीमती उर्मिला राजोरिया, अतिरिक्त जन जातीय आयुक्त एवं वन विभाग के सहायक वन संरक्षक ने भी अपने अपने विभाग की ओर से जन जातीय कल्याण की सभी योजनाओं को कुशलता से क्रियान्वित करने तथा आदिवासी परिवारों की विभिन्न परिवेदनाओं का पूर्ण संवेदनशीलता व पारदर्शिता से निपटारा करने का आश्वासन दिया। इसपे बाद कार्यशाला सभी को धन्यवाद देते हुए समाप्त हुई।

लोकतंत्र शाला

क्र. संख्या ..... दिनांक: 3 अक्टूबर, 2019

कार्यशाला की रिपोर्ट निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय जन जाति आयोग, नयी, दिल्ली
2. निजी सचिव माननीय सदस्य श्री एच के दामोर;राष्ट्रीय जन जातिआयोग, नयी दिल्ली
3. सचिव, माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार
4. प्रमुख शासन सचिव, जन जाति कल्याण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
5. प्रमुख शासन सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
6. आयुक्त, जनजाति विभाग, सहेली मार्ग, उदयपुर
7. .....

लोकतंत्र शाला के लिये
हम्मद नवाज़